विहित प्राधिकारी अन्तर्गत उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 एवं उप श्रमायुक्त,उ0प्र0,गाजियाबाद क्षेत्र।

श्री अनुज कुमार एवं अन्य, सी 108, कृष्णापुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद।

..................वादी पक्ष

बनाम

आक्यूपायर /सेवायोजक

1- सेवायोजक /प्रबन्धक, मैसर्स शिविका इस्टेट मैनेजमेंट प्रा0लि0, साइट आफिस ऑफिसर सिटी प्रथम, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद (मुख्य सेवायोजक)।

2- सेवायोजक /आक्यूपायर, मै0 मैक्सास फेसिलिटी प्रा0लि0, ई 37, मैट्रो प्लाजा, प्रथम तल, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

..................प्रतिवादी / सेवायोजक पक्ष

निर्णय

प्रस्तुत दावा श्री अनुज कुमार एवं 51 अन्य, सी 108, कृष्णापुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी आक्यूपायर /सेवायोजक, सेवायोजक /प्रबन्धक, मैसर्स शिविका इस्टेट मैनेजमेंट प्रा0लि0, साइट आफिस ऑफिसर सिटी प्रथम, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद (मुख्य सेवायोजक) एवं मैसर्स मैक्सास फेसिलिटी प्रा0लि0, ई 37, मैट्रो प्लाजा प्रथम तल, वसुन्धरा, गाजियाबाद के विरूद्ध उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत इस आशय का दाखिल किया गया है कि वाद पत्र के साथ संलग्न सूची मे अंकित 52 कर्मचारी प्रतिवादी प्रतिष्ठान मे कई माह से नियोजित रहे है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उन्हें इस माह जून,2022 से अगस्त,2022 तक का कुल वेतन रू0 1353703/- का भुगतान नहीं किया गया है जो उन्हें वसूली प्रमाण पत्र जारी कर भुगतान कराया जाये।

उक्त प्रार्थना पत्र का संज्ञान लेते हुए पक्षो को विधिवत नोटिस भेजकर आहूत किया गया। नियत तिथि पर उभय पक्ष उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित उनके अधिकृत प्रतिनिधि को वाद पत्र की प्रति हस्तगत करायी गयी एवं पत्रावली वास्ते प्रतिवादी के लिखित कथन हेतु नियत की गयी। दिनांक 09.02.2023 को प्रतिवादी की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया तदोपरान्त वादी द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

प्रतिवादी सं0 02 द्वारा अपने लिखित कथन में कहा गया कि वे प्रतिवादी सं0 01 के यहॉ कार्यरत थे और वाद पत्र में अंकित सभी श्रमिक शिविका स्टेट मैनेजमेन्ट के द्वारा नियोजित किये गये थे और उनके देयपावनों का भुगतान करने का दायित्व मैसर्स शिविका स्टेट मैनेजमेन्ट के द्वारा भुगतान न किये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी को सम्बन्धित श्रमिकों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है। उनके द्वारा केवल सुरक्षा गार्डो से सोसायटी की सुरक्षा के लिए विभिन्न टावरों पर ड्यूटी लगाई जाती थी और भुगतान करने का दायित्व मैसर्स शिविका स्टेट मैनेजमेन्ट, ऑफिसर सिटी राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद का था। उनका अनुबन्ध अप्रैल,2022 में 11 माह के लिए हुआ था। अप्रैल और मई का भुगतान कर दिया गया जिससे किस मैक्सास फेसिलिटी प्रा0लि0 लि0 ने भी आगे भुगतान कर दिया। जून एवं जुलाई में शिविका स्टेट मैनेजमेन्ट ऑफिसर सिटी 1, राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद द्वारा बिल का भुगतान न किये जाने के कारण विवाद उत्पन्न हुआ। श्रमिकों का भुगतान मै0 शिविका स्टेट मैनेजमेन्ट द्वारा किया जाना न्यायोचित है। अपने लिखित कथन के उनके द्वारा एग्रीमेन्ट की प्रति, बैंक स्टेटमेन्ट की प्रति, जून एवं जुलाई के बिल की प्रति दाखिल की गयी।

प्रतिवादी सं0 01 के द्वारा अपने लिखित कथन में कहा गया कि उपयुक्त वाद में उल्लिखित वादीगण मै0 शिविका एस्टेट मैनेजमेन्ट के अधीन में कभी भी उनके नियोजन में नहीं रहे। लिखित एवं मौखिक का सम्बन्ध स्थापित होने जैसे प्रकरण उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत निर्मित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी सं0 01 सिविल सोसायटी / बिल्डिंग के मरम्मत का कार्य करते है। प्रतिवादी सं0 औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है जैसा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 2 (1 में वर्णित है। प्रतिवादी सं0 01 किसी प्रकार का उत्पादन का कार्य, प्रोसेसिंग और मैन्यूफैक्चरिंग आर्टिकल्स नहीं करते है। वे सिर्फ सिविल सोसायटी में मरम्मत का कार्य करते है। प्रतिवादी सं0 01 के औद्योगिक प्रतिष्ठान न होने के कारण उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अधिनियम, 1978 के प्राविधान लागू होते है। उनके द्वारा उक्त वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

मेरे द्वारा वादी के दावे, पक्षों के कथन, उपकथन, प्रतिवादी की आपत्ति, प्रतिउत्तर तथा पक्षों की मौखिक बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत दावा वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 02 के माध्यम से प्रतिवादी सं0 01 के यहाँ नियोजित होने के कारण अपने माह जून,2022 से माह अगस्त,2022 तक की अवधि का वेतन रू0 1353703/- दिलाये जाने की माग की है। प्रतिवादी सं0 01 द्वारा अपने लिखित कथन में अपने प्रतिष्ठान का औद्योगिक प्रतिष्ठान न होने का कथन किया गया है जबकि मैं प्रतिवादी के इस कथन से सहमत नहीं हूँ क्योंकि औद्योगिक प्रतिष्ठान की परिभाषा में अन्य प्रतिष्ठान का वर्णन है, वही वेतन भुगतान अधिनियम,1936 की धारा 2 (ii) (g) में औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान की परिभाषा निम्नवत दी गयी है :– Industrial aur other establishment means any establishment in which any work relating to the construction, development or maintenance of buildings, roads, bridges or canals, or relating to operations connected with navigation, irrigation or the supply of water or relating to the generation, transmission and distribution of electricity or any other form of power is being carried on;] इस प्रकार प्रतिवादी के प्रतिष्ठान में निर्माण गतिविधि होने के कारण यह औद्योगिक प्रतिष्ठान की परिभाषा आवर्त होता है। फलस्वरूप प्रतिवादी सं0 01 की यह आपत्ति कि उनका प्रतिष्ठान एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है निर्मूल होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रतिवादी सं0 02 द्वारा लिखित कथन के साथ दाखिल समझौते की प्रति दाखिल की गयी जिसके बिन्दु सं0 17 में उल्लिखित है कि The First Party shall submit the bill to the second party by 5th of the succeeding month The second Party shall make payment by the 10th of the same month......." इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं0 02 द्वारा अपने लिखित कथन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि प्रतिवादी सं0 01 द्वारा उनको बिलो का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। चूंकि प्रतिवादी सं0 मै0 शिविका स्टेट मैनेजमेन्ट प्रतिवादी सं0 02 मै0 मैक्सास फेसिलिटी प्रा0लि0 के मुख्य सेवायोजक है एवं मुख्य सेवायोजक होने के नाते उनका यह नैतिक दायित्व है कि वे अपने यहाँ नियोजित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अपने समक्ष कराते।

वाद में उल्लिखित 52 श्रमिकों जिनका विवरण निम्नवत है :–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	माह जून 22 का बकाया वेतन	माह जुलाई 22 का बकाया वेतन	माह अगस्त 22 का बकाया वेतन	कुल बकाया वेतन (माह अक्टूबर 21 से माह फरवरी 2022 तक)
01	अनुज कुमार	सिक्योरिटी ऑफिसर	0	12263	3066	15329
02	अनुज शर्मा	सुपरवाइजर	16200	15677	2090	33967

03	[illegible] सिंह	सुपरवाइजर	18200	18200	[illegible]	[illegible]
04	[illegible]	[illegible]	11664	19440	[illegible]	[illegible]
05	[illegible]	[illegible]	13500	13086	0	26586
06	[illegible]	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1306	28306
07	[illegible]	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1306	28306
08	[illegible] कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
09	[illegible] कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
10	गुड्डू	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
11	[illegible]	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1306	28306
12	[illegible]	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
13	[illegible] कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
14	[illegible]	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
15	ओमप्रकाश	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
16	मुकेश सिंह	सिक्योरिटी गार्ड	13500	0	0	13500
17	राजेन्द्र सिंह [illegible]	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
18	राजगोविन्द	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	871	27871
19	राधा कान्त	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
20	अमित कुमार सिंह	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
21	हरी किशन	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
22	सुरेन्द्र कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
23	विमल साहा	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
24	नितिन कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
25	राहुल	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
26	अनुराग कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
27	सोहित कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
28	अभिषेक	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
29	राजीव कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
30	ओमप्रकाश 2	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
31	धनबीर	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
32	सोनू 2	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
33	अनुराग 2	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	871	27871
34	मुकेश चौहान	सिक्योरिटी गार्ड	13500	0	0	13500
35	दीपक	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
36	परवेन्द्र	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
37	सूरज	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
38	धीरज सिंह	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
39	राजकुमार मण्डल	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	1742	28742
40	मनीष सिंह	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	871	27871
41	रमेश चन्द्र	सिक्योरिटी गार्ड	13500	13500	871	27871
	रतनवीर सिंह	सिक्योरिटी गार्ड	10350	13500	1742	25592
	विशाल त्यागी	सिक्योरिटी गार्ड	10800	10016	1742	22558
	मदनपाल	सिक्योरिटी गार्ड	10350	7839	1742	19931
	लव कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	10350	0	0	10350
	धारा	सिक्योरिटी गार्ड	11700	8274	435	20409
	शिव कुमार	सिक्योरिटी गार्ड	13500	0	0	13500

[illegible]	कुलदीप	सिक्योरिटी गार्ड	10800	13500	1742	26042
[illegible]	सन्दीप	सिक्योरिटी गार्ड	11250	13500	1742	26492
[illegible]	इन्द्रराज	सिक्योरिटी गार्ड	11700	13500	1742	26942
51	[illegible]	सिक्योरिटी गार्ड	4500	0	0	[illegible]
52	लोकेश उपाध्याय	सिक्योरिटी गार्ड	0	13500	1742	15242
	योग		648864	629274	75565	1353703

चूंकि उक्त 52 श्रमिकों के मुख्य सेवायोजक मैसर्स शिविका इस्टेट मैनेजमेंट प्रा0लि0, साइट आफिस ऑफिसर सिटी प्रथम, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद एवं इनकी माह जून,2022 से माह अगस्त, 2022 तक के बकाया वेतन की धनराशि रू0 1353703/- होती है। अतः उ0प्र0 **औद्योगिक शान्ति** (मजदूरी का यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं प्राधिकारी अन्तर्गत अधिनियम उक्त्त सेवायोजक/प्रबन्धक/आक्यूपायर, **मैसर्स शिविका इस्टेट मैनेजमेंट प्रा0लि0, साइट आफिस ऑफिसर सिटी प्रथम, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद के विरूद्ध इस आशय का वसूली प्रमाण** पत्र जारी करता हूँ कि उक्त सेवायोजक/प्रबन्धक/आक्यूपायर से उक्त 52 **श्रमिकों की बकाया मजदूरी की धनराशि** रू0 1353703/- (रू0 तेरह लाख तिरेपन हजार सात सौ तीन मात्र) भू-राजस्व के रूप में वसूल कर वाद से सम्बन्धित श्रमिकों को भुगतान करने हेतु "**उप श्रमायुक्त,उ0प्र0,गाजियाबाद क्षेत्र**" के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनवाकर इस कार्यालय में जमा कराये जाने का कष्ट करें, ताकि सम्बन्धित श्रमिकों को नियमानुसार भुगतान कराया जा सके।

(रवि श्रीवास्तव)
प्राधिकारी अन्तर्गत उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का
यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 एवं
उपश्रमायुक्त,उ0प्र0,गाजियाबाद क्षेत्र।

पत्रांक 3309-12 /गा0(टी0पी0डब्ल्यू0 01/2023) दिनांक 15/4/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर, गाजियाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि **सेवायोजक/प्रबन्धक/आक्यूपायर, मैसर्स शिविका इस्टेट मैनेजमेंट प्रा0लि0, साइट आफिस ऑफिसर सिटी प्रथम, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद** से उक्तानुसार धनराशि वसूल कराकर धनराशि का ड्राफ्ट इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. श्री अनुज कुमार एवं अन्य, सी 108, कृष्णापुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा सुश्री मीनाक्षी चावला माथुर, 705, 8 वॉ तल, आदित्य बिल्डिंग आर0डी0सी0 राजनगर गाजियाबाद।
3. सेवायोजक/प्रबन्धक/आक्यूपायर,मैसर्स शिविका इस्टेट मैनेजमेंट प्रा0लि0, साइट आफिस ऑफिसर सिटी प्रथम, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद।
4. सेवायोजक/आक्यूपायर, मै0 मैक्सास फेसिलिटी प्रा0लि0, ई 37, मैट्रो प्लाजा, प्रथम तल, वसुन्धरा, गाजियाबाद।

15/4/23
(रवि श्रीवास्तव)
प्राधिकारी अन्तर्गत उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का
यथासमय संदाय) अधिनियम, 1978 एवं
उपश्रमायुक्त,उ0प्र0,गाजियाबाद क्षेत्र।

प्राधिकारी उ0प्र0 औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय)
अधिनियम 1978 एवं उप श्रमायुक्त उ0प्र0, गाजियाबाद